UPJB010000312026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 , अमरोहा।

उपस्थितः श्री शाकिर हसन.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)

फौजदारी विविध वाद सं0–05 / 2026

शुभम कुमार पुत्र नरेश निवासी ग्राम फौन्दापुर पोस्ट व थाना गजरौला जिला अमरोहा।

.....प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1–उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा बजरिये डी0जी0सी0 क्रिमिनल जनपद अमरोहा।

2–मौ0 जाने आलम पुत्र अलाउददीन निवासी ग्राम इस्माईलपुर पोस्ट व थाना शिवालॉ कला तहसल चांदपुर जनपद बिजनौर।

.....विपक्षीगण

17.06.2026

————:–पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र 3ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

2– प्रार्थना पत्र 3ग प्रार्थी की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी ने न्यायालय प्रथम ए0सी0जे0एम0 अमरोहा के द्वारा परिवाद सं0 3632 सन 2025 जाने आलम बनाम शुभम कुमार अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम थाना नौगांवा सादात में पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 के विरूद्ध फौजदारी अपील प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी अपने विद्वान अधिवक्ता से कानूनी मशवरा लेकर अपने घर पहुंचा तो प्रार्थी की अचानक तबियत खराब हो गयी और तेज बुखार से पीड़ित हो गया और प्रार्थी तेज बुखार के कारण काफी कमजोर हो गया। प्रार्थी ने अपना ईलाज कराया अब प्रार्थी स्वस्थ्य होकर न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी को फौजदारी अपील प्रस्तुत करने में मात्र 3 दिन देरी हो गयी है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। परिस्थितिवश ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति में फौजदारी अपील करने में 3 दिन के विलम्ब को माफ किया जाए। अतः प्रश्नगत आदेा दिनांकित 27.11.2025 के विरूद्ध फौजदारी अपील प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को माफ किया जाए। समर्थन में शपथपत्र 4 बी दाखिल किया गया है।

3– विपक्षी सं0 2 मौ0 जाने आलम की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि विलम्ब का कारण बीमार होना बताया है परन्तु बीमारी के

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.17 17:01:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

4— प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

5— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का0सं0 3 ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थी की ओर से प्रस्तावित फौजदारी अपील योजित करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने के उददेश्य से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अपने विद्वान अधिवक्ता से कानूनी मशवरा लेकर अपने घर पहुंचा तो प्रार्थी की अचानक तबियत खराब हो गयी और तेज बुखार से पीड़ित हो गया और प्रार्थी तेज बुखार के कारण काफी कमजोर हो गया। प्रार्थी ने अपना ईलाज कराया अब प्रार्थी स्वस्थ्य होकर न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी को फौजदारी अपील प्रस्तुत करने में मात्र 3 दिन देरी हो गयी है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। परिस्थितिवश ऐसा हुआ है।समर्थन में शपथपत्र दाखिल किये गये है। जिनका युक्तियुक्त प्रकार से शपथपत्र द्वारा खण्डन विपक्षी ने नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपील योजित करने में मात्र 7 दिन का विलम्ब होना कहा गया है जिसके सम्बन्ध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

6— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम गौरी शंकर 1992 ए0एल0जे0 606 (All-D.B.)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करते समय न्यायालय को तकनीकी आधार पर पक्षगण के लिए न्याय के दरवाजे बन्द नहीं करने चाहिए, अपितु मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

7— माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभा बनाम रामप्रकाश कालरा 1987 ए0सी0सी0 338** में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

स्टेट आफ यू0पी0 बनाम ओमप्रकाश शर्मा 1999 (36) ए0एल0आर0 321 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया है कि परिसीमा अधिनियम के नियम किसी भी पक्ष का अहित करने के उददेश्य से नहीं बनाये गये है। न्यायालय को यह दृष्टिगत रखना चाहिए कि विलम्ब को क्षमा नहीं करने से कोई पक्षकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित तो नहीं होता है।

ननकू बनाम जनारदन प्रसाद अशोक कुमार 2003 (52) ए0एल0आर0 656 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया है कि धारा 5

परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय को उदारवादी रूख अपनाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से **एन0बालाकृष्ण बनाम एम0 कृष्णमूर्ति 1998 एस0सी0सी0 133** में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि न्यायालय का प्रारम्भिक कार्य सारवान न्याय हेतु पक्षों के मध्य विवाद का निपटारा होता है। परिसीमा का नियम पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने का नहीं होता है, बल्कि यह देखने का होता है कि पक्षकार विलम्बकारी टैक्ट अपनाने का प्रयास न करे, बल्कि समय के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय में उपस्थित हो। परिसीमा विधि लोक नीति पर आधारित होती है।

8— न्याय का यह सिद्धान्त है कि तकनीकी आधार पर किसी को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए। अपील प्रस्तुत करने में 7 दिन का विलम्ब कारित होना कहा गया है। प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में अपील को विलम्ब से योजित करने के सम्बन्ध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा उक्त के सम्बन्ध में शपथपत्र भी दाखिल किये गये है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत के प्रकाश में न्यायहित में प्रार्थना पत्र 3ग अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मुब0 1000/— रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अविलम्ब अदा किया जाए।

प्रार्थीगण द्वारा फौजदारी अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पक्षकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2026 को उपस्थित होवे।

(शाकिर हसन)
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0—1
अमरोहा।
आई0डी0 नं0 यू0पी0—2416
17.06.2026